

विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 5 अप्रैल, 2012

संख्या वि०स०-वि०-सरकारी विधेयक/1-18/2012.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख सुविधाएं) संशोधन विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक-23) जो आज दिनांक 5 अप्रैल, 2012 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ ई-राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा,
गोवर्धन सिंह,
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

2012 का विधेयक संख्यांक 23

हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख सुविधाएं) संशोधन विधेयक, 2012

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख सुविधाएं) अधिनियम, 2006 (2007 का अधिनियम संख्यांक 1) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. संक्षिप्त नाम.— इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख सुविधाएं) संशोधन विधेयक, 2012 है।

2. धारा 7 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख सुविधाएं) विधेयक, 2006 (2007 का 1) की धारा 7 में "अट्ठारह हजार और सत्रह हजार" शब्दों के स्थान पर क्रमशः "तेईस हजार और बाईस हजार" शब्द रखे जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

निर्वाह व्यय और उन यथेष्ट खर्चों, जो माननीय मुख्य संसदीय सचिवों और संसदीय सचिवों को जन प्रतिनिधि के रूप में जनजीवन की विभिन्न मांगों के कारण उपगत करने पड़ते हैं, में तीव्रता से वृद्धि के कारण उनके विद्यमान वेतन को बढ़ाना आवश्यक समझा गया है। इसलिए हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख सुविधाएं) अधिनियम, 2006 (2007 का अधिनियम संख्यांक 1) में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(प्रेम कुमार धूमल)
मुख्य मन्त्री।

शिमला :

तारीख :, 2012

वित्तीय ज्ञापन

विधयेक के खण्ड 2 के अधिनियमित होने पर राजकोष से प्रतिवर्ष लगभग 1.20 लाख रुपए का अतिरिक्त आवर्ती व्यय होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें
(जी.ए.डी.फाईल नं० जी०ए०डी०—सी (डी) (6)—3/2006)

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख सुविधाएं) संशोधन विधेयक, 2012 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन, विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं।

BILL NO. 23 OF 2012

**THE HIMACHAL PRADESH PARLIAMENTARY SECRETARIES (APPOINTMENT,
SALARIES, ALLOWANCES, POWERS, PRIVILEGES AND AMENITIES)
AMENDMENT BILL, 2012**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Parliamentary Secretaries (Appointment, Salaries, Allowances, Powers, Privileges and Amenities) Act, 2006 (Act No. 1 of 2007).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follow:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Parliamentary Secretaries (Appointment, Salaries, Allowances, Powers, Privileges and Amenities) Amendment Act, 2012.

2. Amendment of section.—In section 7 of the Himachal Pradesh Parliamentary Secretaries (Appointment, Salaries, Allowances, Powers, Privileges and Amenities) Act, 2006, (1 of 2007) for the figures and signs “18,000/-” and “17,000/-”, the figures and signs “23,000/-” and “22,000/-” shall respectively be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Due to sharp increase in the cost of living and the considerable expenses which Hon'ble Chief Parliamentary Secretaries and Parliamentary Secretaries, as a public representative has to incur on account of various demands of the public life, it has been considered necessary to increase their existing salaries. This has necessitated amendments in the Himachal Pradesh Parliamentary Secretaries (Appointment, Salaries, Allowances, Powers, Privileges and Amenities) Act, 2006 (Act No. 1 of 2007).

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(PREM KUMAR DHUMAL)
Chief Minister.

Shimla :

The, 2012.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 2 of the Bill, when enacted, will entail additional recurring expenditure out of the State Exchequer to the tune of Rs. 1.20 lakhs per annum approximately.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

(File No. GAD-C-(D) (6) 3/2006)

The Governor of Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Parliamentary Secretaries (Appointment, Salaries, Allowances, Powers, Privileges and Amenities) Amendment Bill 2012, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the State Legislative Assembly.